न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 89/2020 निर्णय दिनांक :– 21-8-20

उनवान

1. कपूरी पुत्री सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अचलपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर हाल निवासी भांडारेज तहसील दौसा राजस्थान।

––वादी

बनाम

1. काली पुत्री स्व0 बुधा जाति ब्राहम्ण निवासी अचलपुरा तहसील कोटखावदा हल्का सूरज का खेडा, निवाई टोंक राजस्थान।
2. जशोदा पुत्री स्व0 बुधा समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ब्रहम्णो की ढाणी, ग्राम अचलपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय ब्राहम्णों की ढाणी अचलपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर जरिये प्रधानाचार्य।
4. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक कोटखावदा तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा त/धा 212 राज0 टे0 एक्ट व आर्डर 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रार्थीनी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थी –वादीनी ने उपरोक्त उनवानी वाद मान्य न्यायालय में पेश कर दिया है, जिसमे सफलता की पूरी उम्मीद है। वाके ग्राम अचलपुरा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 137 खसरा नम्बर 327 रकबा 7.29 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 7.29 है0 में प्रार्थीनी हिस्सा 16/27 की एवं खाता संख्या 138 खसरा नम्बर 173, 173/792, 174, 174/791, 195/733, 196, 200, 200/743, 201, 202, 202/752, 308, 312, 312/736, 425/766, 74/732, कुल किता 16 कुल रकबा 12.24 है0 में प्रार्थीनी हिस्सा 3/5 की रिकोर्डेड काबिज खातेदार, काश्तकार है। बाकि हिस्सा अन्य सहखातेदारों का है। मद नं0 2 में वर्णित आराजी में खाता अभी शामलाती से तथा विधिवत विभाजन नही हुआ हैं। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण बाहमी बटवारे के आधार पर काबिज काश्त चले आ रहे है विधिवत विभाजन के जमाव में प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण कं मध्य लडाई झगडा होता रहता है तथा आपसी मनमुटाव की स्थिति सदैव बनी रहती है। प्रार्थीनी ने अप्रार्थीगण से कई मर्तबा वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाने बाबत कहा लेकिन अप्रार्थीगण हर बार आश्वासन देकर टालम टोल करते रहे तथा आज तक भी भूमि वादग्रस्त का विभाजन नही करवाया 1 प्रार्थीनी ने अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को काफी श्रम व धन खर्च करके उन्नत व काबिज काश्त बनाया है । इसलिये अप्रार्थीगण प्रार्थीनी से रंजिश रखते है। वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने एवं प्रार्थीनी की भूमि समतल व उपजाउ होने कं कारण अप्रार्थीगण की नीयत में फितुर व बेईमानी आ गई है। तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीनी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

करते है तथा प्रार्थीनी तकासमा करवाकर अपने हिस्से को स्थायी रूप से विकसित करना चाहती है लेकिन अप्रार्थीगण तकासमें की आड में प्रार्थीनी को अपनी आराजी को विकसित नही करने देते जिसके लिये प्रार्थीनी को तकासमा करवाना जरिये न्यायालय आवश्यक हो गया। दिनांक 12.06.2020 को प्रार्थीनी जापनी जमीन पर गयी हुयी की तो अप्रार्थीगण कुछ व्यक्तियों के साथ उक्त आराजी पर आये तथा जमीन की नाप चौप कर प्रार्थीनी के हिस्से पर भी पत्थर गाडने लगे । प्रार्थीनी ने मना किया तो क्रोधित हो गये तथा कहा कि चाहे कूछ भी हो हम लटठ के दम पर तुम्हारे हिस्से पर कब्जा करेंगें। तुम्हारी प्राकृतिक उपज को नष्ट कर देंगें तुम्हे काश्त नही करने देगी । हम बिना तकासमा कराये भूमि का बेचान कर देंगे, केता जबरन तुम्हारी अच्छी–अच्छी भूमि पर कब्जा कर लेंगें। जबरन तुम्हे बेदखल कर देंगें। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी को दावा का पेश करना लाजमी हुआ। प्रार्थीनी द्वारा तकासमें के लिये कई बार निवेदन करने के बावजूद तकासमें के लिये सहमत नही होने तथा दिनांक 12.06.2020 को प्रार्थीनी के हिस्से पर जबरने पत्थर गाडने के प्रयास करने, प्रार्थीनी की प्राकृतिक उपज को नष्ट करने, काश्त नही करने की देने की धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरंतर जारी है। एक सहखातेदार को तकासमा कराने का हेतु बना रहता है। वादपत्र प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीनी का प्रथम दृष्टया केस काफी मजबूत हैं । सुबिधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। अगर चाही गयी निपेधाज्ञा से प्रार्थीनी को पांवद नही जिया गया तो वे विवादित आराजी का बिना तकासमा कराये अजनबी व्यक्तियो को बेचान कर देंगें, केतागण जबरन हमारी अच्छी अच्छी भूमि पर कब्जा कर लेंगे

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रार्थीनी को प्राकृतिक उपज से लाभ नही उठाने देंगे । जिसक परिणामस्वरूप प्रार्थीनी को अपूर्तनीय क्षति होगी । जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा ने संभव नही सो सकेंगी । प्रार्थीनी के वैधानिक अधिकारो पर कुठाराघात होंगा । इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाले किया जाना न्यायहित मे अपेक्षित एंव प्रार्थनीय है । प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांवद फरमाया जावे कि वेश्रूवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 327 रकबा 7.29 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 7.29 है0 में प्रार्थीनी हिस्सा 16/27 की एवं खाता संख्या 138 खसरा नम्बर 173, 173/792, 174, 174/791, 195/733, 196, 200, 200/743, 201, 202, 202/752, 308, 312, 312/736, 425/766, 74/732, कुल किता 16 कुल रकबा 12.24 है0 वाके ग्राम अचलपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर का बय, बख्शीश, बेचाना नही करे। राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के वकील द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गयी तो अप्रार्थी की तरफ से वकील हाजीर अदालत आया व प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया गया कि :–

अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब दावा निम्न प्रकार पेश है प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि इस मद में सफलता की आशा करना केवल कल्पना मात्र है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 2 राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 3 अस्वीकार है वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया व अप्रार्थीगण मौके पर बाहमी बटवारा करके अपने अपने हिस्सो के

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

मुताबिक काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीया का यह कहना गलत है कि बिना विधिवत तकासमा के प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य लडाई व झगडा होता रहता है। जो अस्वीकार है। न ही प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य कोई मनमुटाव नही रहा है। अप्रार्थीगण व प्रार्थीया शान्तिपूर्वक काबिज रहकर अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा अपनी अपनी उपज का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 4 अस्वीकार है प्रार्थीगया द्वारा अप्रार्थीगण को कभी भी तकासमा के लिये नही कहा है। जब कहा ही नही तो आवश्वासन देने व टालमटोल वाले तथ्य सरासर मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया व अप्रार्थीग्ण अपने अपने हिस्सेनुसार वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर अपने श्रम व धन खर्च कर अपने अपने हिस्से की भूमि को उपजाउ बना रखा है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। न ही प्रार्थीया व अप्रार्थीगण आपस में किसी प्रकार की रंजिश रखते है। तमाम तथ्य मिथ्या अंकित किये गये है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 5 गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है प्रार्थीया द्वारा तमाम तथ्य मिथ्या व मनगढंत अंकित किये गये है। जो अस्वीकार है। अप्रार्थीगण की नियत मे कोई फितूर व बेईमानी नही आई है न ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गई हैं न ही अप्रार्थी नं0 1 द्वारा कभी भूमि का विधिवत तकासमा करवाने के लिये मना किया गया है। बल्कि प्रार्थीया द्वारा मिन अप्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र की आड में हैरान परेशान किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 6 पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है उक्त मद में वर्णित दिनांक 22.06.2020 को ऐसी किसी भी प्रकार की काई भी घटना वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आराजी पर घटित नही हुई है। न ही अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार के पत्थर आदि गाडने की कोशिश की गई न ही किसी प्रकार की लाठी की ताकत कब्जा करने की धमकी दी न ही काश्त में बाधा कारित करने की धमकी दी न ही भूमि बेचान करने की धमकी दी तमाम तथ्य प्रार्थिया द्वारा मिथ्या एवं मनगढंत अंकित किये गये है जिनका सत्यता से किसी प्रकार का कोई वास्ता नही है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 7 पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है उक्त मद में वर्णित कोई भी घटना या वादकारण वादी को मिन अप्रार्थी के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीया ने उक्त मद में समस्त तथ्य मिथ्या व बनावटी अंकित किये है जिनका उद्देश्य केवल मिन अप्रार्थी को हैरान परेशान कर काश्त में बाधा कारित करने का है। जिससे बिना वादकारण के प्रार्थीया का वाद काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 8 पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी की रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार महिला है। जो वादग्रस्त आराजी के अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी सख्या 1 अपने वैद्यानिक हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने हक व हिस्से के उपयोग, उपभोग, रहन, बैय, बैचान आदि से वंचित हो जायेगी। जिससे एक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तिकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता हैं इस कारण प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में है। जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान की सुनी गयी तो वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि शामलाती खातेदारी भूमि है जिसको अप्रार्थीगण बिना तकासमा हुये जबरने बेचने पर आमदा है एवं प्रार्थीया की कब्जे शुदा भूमि से बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है जिनका उन्हें अधिकार नही है अगर अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो अप्रार्थीगण भूमि का बेचान कर देंगें जिससे प्रार्थीया का दावा करने का मकसद ही नही रहेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी वकील की बहस का खंडन करते हुये व जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण सहखातेदार है एवं अपनी अपनी भूमि पर हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार के पत्थर आदि गाडने की कोशिश नही की न ही कब्जा करने की धमकी दी न ही भूमि बेचान करने की धमकी दी, प्रार्थीया ने मिथ्या आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योंकि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन व अपूर्वनीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में भली प्रकार से साबित होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पक्षकारान वकील की बहस पर गोर किया व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत जमाबंदी का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीया व अप्रार्थीगण रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया व अप्रार्थीगण मौके पर बहमी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

बटवारा करके अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है व अपनी अपन उपज का उपयोग उपभोग करते है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि को उपजाड बना रखा नह ही आपस मे किसी प्रकार की रंजिश रखते है प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तमाम तथ्य मिथ्या व मनगढंत अंकित किये है, क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को तकासमा करवाने हेतु कभी मना नही किया, केवल अप्रार्थीगण को परेशान व हैरान करने की नियत से पेश किया गया है दौराने बहस भी अप्रार्थीगण द्वारा तकासमा कराने हेतु मना नही किया गया। अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार महिला है जो वादग्रस्त आराजी के अपने हिस्से पर शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। अगर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो वो अपने वैधानिक हक व अधिकारों से महरूम हो जावेगी व हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने से महरूम हो जावेगें जिसमें एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता। इस कारण प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी की भली प्रकार से साबित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.07.2020 का प्रभावहीन हो गया पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(stamp: उपखण्ड अधिकारी चाकसू)
21.8.20
चाकसू